

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर-खीरी

परिवाद सं०-8575 / 2023

पिंकी बनाम मुनीश आदि

CNR No UPLP10013972-2023

17.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उपस्थित कोई नहीं है। न ही परिवादिनी की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। पत्रावली बहस तलबी हेतु नियत है। पत्रावली पर परिवादिनी द्वारा अपना बयान अं०धारा-200 दं०प्र०सं० अंकित कराया गया है तथा-202 दं०प्र०सं० के स्तर पर साक्षी पी०डब्लू०-1 नगुली देवी व पी०डब्लू०-2 संध्या देवी को परीक्षित कराया गया है। अन्य किसी भी साक्षी को परिवादिनी द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। तत्पश्चात् परिवादिनी विगत लम्बी अवधि से अनुपस्थित चली आ रही है। परिवादिनी को कई बार अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी परिवादिनी अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को परिवाद कार्यवाही को आगे संचालित किये जाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। पत्रावली पर इस स्तर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्तगण को किसी भी अपराध में तलब किये जाने का आधार बन सके। अतः परिवाद अंतर्गत धारा-203 दं०प्र०सं० एवं बल अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)

यू०पी०1964

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।

17.07.2026